तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

26/05/26

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। मूल पत्रावली तलब की जाकर उक्त पत्रावली के साथ संलग्न की गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि ग्राम जम्भेश्वर नगर द्वितीय पटवार हल्का बडीसिड तहसील बाप के खसरा नंबर 19 रकबा 20.1614 हैक्टेयर भूमि का बंटवाड़ा करवाने बाबत वाद पेश किया था। उक्त वाद में खसरा नम्बर 19 रकबा 20.1614 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा अनुसार न्यायालय हाजा द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी की गई। इसी अनुसार ही तहसीलदार बाप द्वारा मूल खसरा की भूमि में 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 का तथा 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के बंट में रखते हुवे कुराजात रिपोर्ट न्यायालय हाजा में पश की गई। उक्त राजस्व वाद न्यायालय हाजा द्वारा स्वीकार कर दिनांक 23.07.2025 को निर्णय/डिक्री पारित किये गये। उक्त वाद के निर्णय/डिक्री टंकण करते समय ग्राम जम्भेश्वरगनर द्वितीय के खसरा नम्बर 19 रकबा 20.1614 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 आत्माराम के बंट की 5.0403 हैक्टेयर तथा प्रतिवादी संख्या 2 केंकूदेवी के बंट की 5.0403 हैक्टेयर भूमि के स्थान पर लिपिकीय भूलवश प्रतिवादी संख्या 1 आत्माराम के बंट में 1.6803 हैक्टेयर तथा प्रतिवादी संख्या 2 केंकूदेवी के बंट में 1.6803 हैक्टेयर गलत टंकण कर दिया गया। ग्राम जम्भेश्वरनगर द्वितीय के खसरा नम्बर 19 रकबा 20.1614 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 आत्माराम के बंट में 1.6803 हैक्टेयर तथा प्रतिवादी संख्या 2 केंकूदेवी के बंट की 1.6803 हैक्टेयर भूमि के स्थान पर माफिक कुराजात रिपोर्ट अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के बंट की 5.0403 हैक्टेयर तथा प्रतिवादी संख्या 2 के बंट में 5.0403 हैक्टेयर भूमि अनुसार पुनः संशोधित आदेश जारी किये जाने के आदेश फरमावें। पत्रावली पर उपलब्ध निर्णय/डिक्री का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि उक्त निर्णय/आदेश में सेवन से प्रतिवादी संख्या के बंट की 5.0403 हैक्टेयर के स्थान पर 1.6803 हैक्टेयर व प्रतिवादी संख्या 2 के बंट की 5.0403 हैक्टेयर के स्थान पर 1.6803 हैक्टेयर टंकित कर दिया गया जिसे कुराजात रिपोर्ट अनुसार दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सिविल प्रकिया संहिता का स्वीकार किया जाता है कि न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 50/2023 अनवान इन्द्राराम वगैरा बनाम आत्माराम वगैरा में पारित आदेश/डिक्री दिनांक 23.07.2025 में आंशिक संशोधन करते हुए निर्णय/डिक्री की सारणी में कम संख्या 7 के कॉलम संख्या 5 में 1.6803 हैक्टेयर के स्थान पर 5.0403 हैक्टेयर तथा कम संख्या 8 के कॉलम संख्या 5 में 1.6803 हैक्टेयर के स्थान पर 5.0403 हैक्टेयर पढा व समझा जावे। शेष प्रविष्टयां यथावत रहेगी। मिसल फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। मूल प्रकरण के साथ नत्थी हो।

निर्णय आज दिनांक 26/05/26 को मेरे हस्ताक्षर से सरे इजलास सुनाया गया।

Satya..

(सत्य नारायण– I, R.A.S.)
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)